राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 833/2024

प्रभुलाल वर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. उप शासन सचिव एवं उप आयुक्त (द्वितीय), पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, जिला बून्दी।
4. सुरेश चन्द वर्मा खण्ड विकास अधिकारी पंचायत समिति बेगू, जिला चित्तौडगढ़ जरिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, जिला बून्दी।

–प्रत्यर्थीगण

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावडा, सदस्य

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.02.2024
आदेश की दिनांक : 13.03.2024

अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रवीण शर्मा, अधिवक्ता

आदेश

मामले की आवश्यकता प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी वर्तमान में खण्ड विकास अधिकारी के पद पर पंचायत समिति, जिला बून्दी में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2022 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण पंचायत समिति बूंदी (बूंदी) से पंचायत समिति बाडी (धौलपुर) किया गया तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 का स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.08.2022 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण पंचायत समिति खैराबाद (कोटा) से पंचायत समिति भवानीमण्डी (झालावाड़) किया गया जहां अपीलार्थी ने 12.08.2022 को कार्यभार ग्रहण कर लिया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 31.07.2023 (अनुलग्नक–3) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण पंचायत समिति भवानीमण्डी (झालावाड़) से पंचायत समिति बूंदी (बूंदी) किया गया। अपीलार्थी पंचायत समिति बून्दी में कार्यरत था, तो उसे फिर से आलौच्य आदेश दिनांक 20.02.2022 द्वारा पंचायत समिति बाडी (धौलपुर) स्थानान्तरण कर दिया। उक्त आलौच्य आदेश मात्र निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजित करने के लिए केवल 7 माह की अल्पावधि में उक्त स्थानान्तरण किया गया। चुनाव आयोग के निर्देश दिनांक 21.12.2023 के अनुसार आयोग एक सुसंगत नीति का पालन कर रहा है कि चुनाव वाले राज्य में चुनाव के संचालन से जुडे

अधिकारियों को उनके गृह जिले या उन स्थानों पर पदस्थापित नहीं किया जाता है जहां उन्होनें काफी लंबे समय तक सेवा की है। इस मामले में प्रत्यर्थी संख्या–4 कोटा जिले का निवासी है, जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बूंदी के अंतर्गत आता है। जहां अपीलार्थी का स्थानान्तरण निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार नहीं किया जा सकता। उक्त स्थानान्तरण राजस्थान पंचायतीराज (स्थानान्तरण गतिविधिया) नियम, 2011 के नियम 8 (iii) का उल्लंघन है। साथ ही पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 290 का भी उल्लघंन है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 को अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य